राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी 3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया सिविल लाईन्स फाटक सी स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 78744 दिनांक 21/09/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 13.09.2022 को श्रीमान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशालय की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य स्तरीय समिति एवं विशेष आमंत्रित निम्नांकित सदस्यो के द्वारा भाग लिया गया:-

1. श्री हृदेश कुमार शर्मा, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री हृदेश कुमार जुनेजा, संयुक्त सचिव (व्यय III), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती निशा मीना, संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री मनीष गोयल, संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री धनपाल खंगार, संयुक्त निदेशक, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री सुरेश अग्रवाल, विशेषाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. श्रीमती श्वेता सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. श्री नितिन शर्मा, अधीक्षण अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय के द्वारा बैठक में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN) योजना की प्रगति से अवगत कराया गया। समीक्षा के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1. श्रमिको द्वारा कार्य की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कार्यों की मस्टररोल जारी की जाकर अधिकाधिक श्रमिको का नियोजन किया जावे। प्रत्येक माह की दिनांक 28 से 30 / 31 को आगामी माह के प्रथम पखवाड़े (दिनांक 1 से 15) के लिये एवं इसी माह की दिनांक 13 से 15 तक द्वितीय पखवाड़े (दिनांक 16 से 30 / 31) के लिए मस्टररोल जारी किया जाने का ही पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। अतः सभी निकायो को तदनुसार ही कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।
2. प्रत्येक संभाग के लिये न्यूनतम 10,000 श्रमिकों का लक्ष्य निर्धारित कर उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित किया जावे।
3. निकायो द्वारा कार्यों पर नियोजित श्रमिको की प्रतिदिन की गई उपस्थिति को पोर्टल पर अपलोड करवाया जाये। जिन निकायो मे वास्तविक श्रमिको की संख्या नियोजित श्रमिको से कम है, ऐसे निकायो द्वारा श्रमिको की वास्तविक

उपस्थिति अधिकाधिक किये जाने के प्रयास किये जावें। संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नियोजित किये गये सभी श्रमिकों को कार्य पर आने बाबत् उनके मोबाईल नम्बरों पर संदेश एवं स्मरण भिजवाये जाने की व्यवस्था की जावे।

4. संविदाकर्मियो की भर्ती की कार्यवाही दिनांक 16.09.2022 तक पूर्ण किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया।

5. नव नियुक्त संविदाकार्मिकों के लिये प्रशिक्षण हेतु संभागवार दिनांक निर्धारित की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

6. वृक्षारोपण के लिये नर्सरी की स्थापना जिला स्तर पर जिला वन अधिकारी के माध्यम से कराई जावे।

7. सार्वजनिक निर्माण/वन/नगरीय विकास एवं आवासन आदि विभागों को उनके कार्यों मे योजनान्तर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित कराये जाने बाबत् पत्र लिखा जावे।

8. नगर निकायों द्वारा योजनान्तर्गत मुख्य चौराहों/प्रमुख मार्गों/महापुरूषों की मूर्ति स्थलों आदि का सौन्दर्यीकरण कराया जावे। साथ ही निकायों के क्षेत्राधिकार में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में वृक्षारोपण व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास भी यथासंभव योजनान्तर्गत किया जावे।

9. प्रत्येक निकाय में योजनान्तर्गत मॉडल कार्य के तौर पर पार्क/तालाब/बावडी आदि का सौन्दर्यीकरण, श्मशान घाट/कब्रिस्तान में मूलभूत सुविधाओं का विकास/हैरिटेज संरक्षण आदि के कार्य प्राथमिकता से करवाये जाने के निर्देश दिये गये।

10. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमत कार्यों में श्रमिकों के श्रेणीवार नियोजन संबंधी डाटा पोर्टल पर उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

11. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रत्येक निकाय के लिये आईईसी बाबत् पोर्टल पर न्यूज/वीडियो/फोटो गैलरी का प्रावधान किया जावे।

12. श्रमिकों के द्वारा स्थानीय वार्ड में कार्य की मांग किये जाने पर यदि संबंधित वार्ड में कार्य चालू/स्वीकृत नहीं है तो ऐसे श्रमिकों को निकटवर्ती वार्ड में नियोजित किये जाने के निर्देश।

13. राज्य की समस्त 240 निकायों में योजनान्तर्गत कार्य करवाये जाने के क्रम में शेष रही 27 निकायों के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे।

14. समस्त मंत्रियों एवं विधायकों को योजना की मार्ग निर्देशिका भिजवाये।

15. संविदाकार्मिको एवं श्रमिकों के भुगतान हेतु पोर्टल पर किये गये प्रावधानों का वित्तीय सलाहकार से परीक्षण करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो।

16. कार्यों के निरीक्षण हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जिलेवार अधिकारियों को नियुक्त किया जाने बाबत् निर्देश दिये गये

बैठक के अंत मे निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सभी को आभार व्यक्त कर बैठक को समाप्त किया गया।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022-23 / 78745-9009 दिनांक 21/09/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, PWD (समस्त संभाग), राजस्थान।
14. समस्त वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान।
15. समस्त आयुक्त, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान।
16. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
17. सहायक वन संरक्षक/जिला वन अधिकारी, राजस्थान।
18. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।
19. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
21. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
22. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता